

2019/00287

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 323/2019 (धारा 14 सिक्वोरिटाइजेशन)  
एल आई सी हाउसिंग फाईनेन्स लि. जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. अमित कपूर निवासी फ्लैट नं. जी-3, ग्राण्डड फ्लोर, प्लॉट नं. 43, श्याम वाटिका, ग्राम मनोहरपुरा  
जगतपुरा रोड, जयपुर ।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री आर. के. भांगव अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।



आदेश

दिनांक 31.10.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.06.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री अमित कपूर के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं. जी-3, ग्राण्डड फ्लोर, स्थित प्लॉट नं. 43, श्याम वाटिका, ग्राम मनोहरपुरा जगतपुरा रोड, जयपुर क्षेत्रफल 1125 वर्गफिट को बन्धक रख कर 10,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि जमा व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक भुगतान इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.08.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। प्रार्थी संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को धारा 13 (2) के नोटिस की प्राप्ति की पुष्टि में प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री अमित कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं. जी-3, ग्राण्ड फ्लोर, स्थित प्लाट नं. 43, श्याम वाटिका, ग्राम मनोहरपुरा जगतपुरा रोड, जयपुर क्षेत्रफल 1125 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हसब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हों कर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगरूप सिंह यादव)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर